

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::
क्रमांक:-स्थापना/सैटअप/मृ.आ./विविध/52458-61 दिनांक:-06-1-2023

उप महानिरीक्षक,
कारागार रेंज
जयपुर/उदयपुर/जोधपुर

विषय:- मृतक कार्मिक के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत कारागृहों पर पदस्थापित कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु किये जाने वाले आवेदन में पुलिस सत्यापन हेतु अटैस्टेशन फार्म पूर्व प्रारूप में भरे जाते हैं, जबकि कार्मिक विभाग द्वारा संशोधित अटैस्टेशन फार्म का प्रारूप जारी किया गया है।

अतः वर्तमान स्थिति में प्रचलित अटैस्टेशन फार्म का प्रारूप इस पत्र के संलग्न प्रेषित कर लेख है कि भविष्य में आपके क्षेत्राधीन कारागृहों पर मृतक आश्रित द्वारा पुलिस सत्यापन हेतु अटैस्टेशन फार्म नवीन प्रारूप में भरा जाकर अन्य बिन्दुओं की पूर्ति इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्थापना/सैटअप/मृ.आ./81875-976 दिनांक 23.03.2022 के अनुसार कर भिजवाया जाने बाबत अधीनस्थ कारागृहों के प्रभारियों को सूचित कर पाबन्द किया जावे।

संलग्न:-अटैस्टेशन फार्म

भवदीय,

1

(यू.एल.छानवाल)
महानिरीक्षक पुलिस कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी कम्प्यूटर लैब शाखा महानिदेशालय कारागार जयपुर को उक्त आदेशों की प्रति विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. रक्षक पत्रावली।

महानिरीक्षक (पुलिस) कारागार
राजस्थान, जयपुर